चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना राजापुर,थाना मऊ एवं थाना मानिकपुर की पुलिस टीम ने 16 जुआरियों को जुआ खेलते हुए मालफड़ से 58,950/- रूपये व 52-52 अदद तास पत्ता तथा जामा तलाशी से 4960/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह आरक्षी शाकिर अली,रि0आरक्षी लकी सिंह,रि0आरक्षी रोहित कुमार पटेल थाना राजापुर द्वारा अभियुक्तगण 1.धर्मेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र रामआसरे निवासी बाबाघाट क्टोयरा थाना राजापुर 2.श्रवण पुत्र शम्भू निवासी गोस्वामी नगर कस्बा व थाना राजापुर 3.अखिलेश उर्फ बदवा सोनकर पुत्र तिपवा निवासी गोसाईपुर थाना राजापुर 4.गेंदालाल उर्फ गेंदा पुत्र राधे सोनकर पुत्र गोसाईपुरवा पराको थाना राजापुर 5.कमलेश उर्फ राजेन्द्र उर्फ नैना पुत्र विफई राम निवासी गोसाईपुरवा मजरा पराको थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ से 1400/- रूपये व 52 अदद तास पत्ता, जामा तलाशी से 370/- रुपये व 02 मोबाइल फोन बरामद किए गए।

(ii). उ0नि0 अभिषेक कुमार वर्मा व उ0नि0 इमरान खान मय हमराह आरक्षी प्रकाश मिश्रा,आरक्षी शुभम त्रिपाठी,आरक्षी आनन्द प्रताप सिंह,रि0आरक्षी आकाश मौर्य,रि0आरक्षी विशाल यादव,रि0आरक्षी सत्यम बिन्द,रि0आरक्षी हिमांशू यादव,रि0आरक्षी शुभम यादव थाना मऊ द्वारा अभियुक्तगण 1.विनोद कुमार पटेल पुत्र धर्मनारायण निवासी चौगलिया उम्र करीब 36 वर्ष 2. लालजी पटेल पुत्र हीरालाल उम्र 50 वर्ष 3.बैजनाथ पुत्र सीताराम उम्र करीब 58 वर्ष 4. मनोज कुमार मिश्रा पुत्र ओंकारनाथ उम्र करीब 35 वर्ष निवासीगण ग्राम गढ़वा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को तास के पत्तो में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ के 9550/- रुपये नकद,52 अदद तास के पत्ते व जामा तलाशी से बरामद 450/- रुपये बरामद किये गए।

(iii). उ0नि0 शम्भूशरण सिंह हमराह आरक्षी शरद कुमार सिंह,आरक्षी सन्तोष सिंह,रि0आरक्षी धीरज गुप्ता,रि0आरक्षी दीपक अनुरागी, रि0आरक्षी आदर्श मिश्रा, रि0आरक्षी सतीश कुमार मौर्य, रि0आरक्षी संजीव यादव,रि0आरक्षी सतीश यादव, रि0आरक्षी अभिषेक पटेल,रि0आरक्षी रितुराज चन्द्र विकास, रि0आरक्षी अनूप,रि0आरक्षी अभिषेक यादव थाना मानिकपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.शिवशंकर पुत्र शिवलखन विश्वकर्मा उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम गढचपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 2.शिवहरी पुत्र जयनाथ सिंह उम्र करीब 43 वर्ष निवासी ग्राम गौरिया थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 3.राजेन्द्र प्रसाद पुत्र दुली चन्द्र यादव उम्र करीब 32 वर्ष निवासी सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 4.इन्द्रेश पुत्र ब्रजभूषण सिंह उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम गढ़चपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 5.लाल सिंह पटेल पुत्र चन्द्रभान उम्र करीब 38 वर्ष निवासी सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 6.लवकुश पुत्र मुकुन्दीलाल मिश्रा उम्र करीब 27 वर्ष निवासी मुस्लिमपुरवा मजरा सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 7. भागवत शुक्ला पुत्र राघव प्रसाद उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम गर्गनपुरवा मजरा सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को तास के पत्तो में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ के 48000/- रुपये नकद,52 अदद तास के पत्ते व जामा तलाशी से बरामद 4140/- रुपये बरामद किये गए।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मारकुण्डी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रूपनारायण सिंह व उनकी टीम द्वारा शादी की झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि थाना मारकुण्डी अन्तर्गत एक निवासी ने सूचना दी थी कि 17.05.26 को घर से उनकी लडकी उम्र 19 वर्ष को रजनीश पुत्र बउवा द्वारा भगा ले जाना। इस सूचना पर थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 28/2026 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना पीड़िता की बयान अन्तर्गत धारा 183 के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 69,127 बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी तथा आज दिनांक 25.03.2026 को अभियुक्त रजनीश पुत्र बउवा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री रूपनारायण सिंह

2.आरक्षी अमित तिवारी

(4). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाडी श्री निशिकान्त राय एवं पैरोकार आरक्षी अबरार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0 श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 26.05.2026 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 108/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त बोधन पुत्र आनाइसा निवासी ममसी बुजुर्ग थाना पहाडी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 7394/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री शिवआसरे एवं पैरोकार आरक्षी अशोक कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी पीयूष यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0/एफटीसी श्री अश्वनी कुमार उपाध्याय द्वारा आज दिनाँक 26.05.2026 को थाना सरधुवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 60/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्ता गायत्री निषाद पत्नी जयराज निषाद निवासी बक्टा खुर्द थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(6).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकान्त राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह व उनकी टीम ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि थाना पहाड़ी अन्तर्गत एक निवासिनी वादिया द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी कि उनकी पुत्री के साथ अभियुक्त दीपक द्वारा शादी की झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने व अभियुक्त की मां द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देना। इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 106/26 धारा 69,351(3),352 बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना पीडिता का बयान माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस कराए गए। आज दिनाँक 26.05.2026 को उ0नि0 श्यामदेव सिंह ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी अभियुक्त दीपक को गिरफ्तार किया गया।

(6). अपर जिलाधिकारी चित्रकूट श्री चन्द्रशेखर एवं पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकान्त राय की अध्यक्षता में आगामी त्योहार ईद-उल-अजहा (बकरीद) के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा शांतिपूर्ण एवं परम्परागत तरीके से आपसी भाई-चारे के साथ त्योहार को मनाने के लिए पीस कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।बैठक में अपर जिलाधिकारी चित्रकूट ने तहसीलवार समस्याओं के बारे में जानकारी लिए एवं उपस्थित धर्म गुरूओ एवं अलग-अलग क्षेत्रों से आये हुए संभ्रान्त नागरिकों एवं शांति समिति के सदस्यों से सीधा संवाद कर आगामी त्यौहारों, विशेष रूप से बकरीद के अवसर पर आपसी सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने में शांति एवं सहयोग की अपील करते हुए कहा कि त्यौहार में किसी प्रकार की नई परंपरा की शुरूआत न की जाए। जिस प्रकार से और जिस जगह पर विगत वर्षो में बकरीद के दौरान कुर्बानियां दी जाती रही हैं उसी को कायम रखना है। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न दी जाए, तथा कोई कुर्बानी खुले में भी न हो। उपस्थित समस्त क्षेत्रीय धर्म गुरूओ से अपील करते हुए कहा कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करें जिससे त्यौहार शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो।

अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित किए कि त्यौहार के समय विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से संचालित रहे। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार की लापरवाही संज्ञान में न आए एवं साफ सफाई की विशेष ध्यान रहे। उन्होंने समस्त अधिशाषी अधिकार नगर पालिका/नगर पंचायत को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने-अपने इलाकों में साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए त्योहार के दिन सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी पहले से ही सुनिश्चित रखी जाए।

उपजिलाधिकरी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित समस्त सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि त्योहार के दौरान विशेष सतर्कता व अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करते हुए त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें, इन कार्यों में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बकरीद के त्यौहार को परंपरागत रूप से मनाये जाने के संबंध में पुलिस अधिकारियों/थानाध्यक्षों को निर्देशित करते हुए कहा कि शांति-सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। त्यौहार में मुस्लिम समुदाय द्वारा ईदगाहों, मस्जिदों में नमाज अदा की जाती है तथा परंपरागत रूप से निश्चित स्थलों पर कुर्बानी दी जाती है। उन्होंने कहा इस दौरान संबंधित अधिशाषी अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मस्जिद, नमाज स्थलों के आसपास विशेष सफाई कराकर चूने का छिड़काव कराना सुनिश्चित करें, जलापूर्ति के लिए जो टाइमलाइन दिया जा रहा है उसी के अनुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। कुर्बानी के पश्चात अवशेष को उचित स्थान पर पर्याप्त संख्या में गहरा गड्डा खुदवाकर उसमें ब्लीचिंग, नमक तथा चूना डालकर उचित तरीके से ढकवा कर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रो में यह सुनिश्चित करेंगे कि कुर्बानी पूर्व से निर्धारित परंपरागत स्थलों पर ही की जाए, किसी भी दशा में खुले में कोई कुर्बानी नहीं की जाए। उक्त त्यौहार पर कोई नई परंपरा कायम नहीं की जाए। उन्होंने नगर पालिका व थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि जहां पर कुर्बानी होती है वहां पर अन्ना पशु ना जाने पाए। जिलाधिकारी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि शुकर पालकों के साथ मीटिंग करें की बकरीद के नमाज के पहले सूकरो को न छोड़ें।

पुलिस अधीक्षक ने समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष को निर्देश देते हुए कहा कि त्यौहार के दौरान अपने-अपने क्षेत्र में निरंतर भ्रमणशील रहते हुए शांति व सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखें, जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न होने पाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक सवेंदनशील मामलों में माहौल खराब करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि इन त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया जाए किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए।